न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः–122/2023

प्रार्थीः–

टिकमसिंह पुत्र वस्तीराम जाति राजपुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–श्री गौतमसिंह अधिववक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–13.01.2025

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा रा.का.अ. की धारा 251 ए के तहत विप्रार्थी तहसीलदार समदडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की सरहद मौजा सिलोर तहसील समदडी के खसरा 409 व 386 रकबा 5.6089 व 9.0326 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 386 से खसरा संख्या 409 में सिंचाई प्रयोजनार्थ हेतु 3 फीट भूमिगत गहराई में पाईप लाईन बिछाने हेतु एकमात्र विकल्प विप्रार्थी के खसरा संख्या 406, 393 व 394 ही है तथा प्रार्थी ने प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार [illegible] से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:13:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी वकील की बहस है कि माफिक नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाए गये बरंग लाल बिन्दू ए से बी अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 386 से प्रार्थी के खेत

खसरा संख्या 409 में सिंचाई हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 394, 393 व 406 के किनारे –किनारे 3 फीट गहराई में भूमिगत सिंचाई प्रयोजनार्थ पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 386 से प्रार्थी के खसरा संख्या 409 तक 3 फीट गहराई में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि ही एकमात्र विकल्प तथा निकटतम है उक्त प्रस्तावित खसरों की लम्बाई एवं चौडाई निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टयर में)	किस्म	प्रस्तावित भूमि का रकबा मय लम्बाई व चौडाई	वि.वि.
1	394	2.6385	गै.मु.ओरण	16 x 0.5 = 8 वर्गगट्टा = 0.02 बीघा या 0.0032 हैक्टयर	
	396	12.8042	गै.मु.नाडी	140 x 0.5 = 70 वर्गगट्टा = 0.175 बीघा या 0.283 हैक्टयर	
	393	3.0109	गै.मु.रास्ता	640 x 0.5 = 320 वर्गगट्टा = 0.80 बीघा या 0.1295 हैक्टयर	
	406	2.3715	गै.मु.नाडी	70 x 0.5 = 35 वर्गगट्टा = 0.0875 बीघा या 0.0142 हैक्टयर	

प्रार्थी वकील की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज तथा तहसीलदार समदडी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी सरहद मौजा सिलोर तहसील समदडी के खसरा 386 से प्रार्थी के खसरा संख्या 409 तक सिंचाई प्रयोजनार्थ विप्रार्थी के खसरा संख्या 394, 396, 393 व 406 के किनारे किनारे तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार 3 फीट गहराई में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:13:42 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी को विप्रार्थी के खसरा संख्या 394, 396, 393 व 406 के किनारे किनारे की भूमि में तीन फीट गहराई में पाईपलाईन [illegible] के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगा।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाने हेतु खसरा संख्या 406 में अवस्थित डामर सडक के कटिंग के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग समदडी से अनापत्ति प्राप्त करे। तहसीलदार समदडी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

3. तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 386 से खसरा संख्या 409 तक 3 फीट गहराई में सिंचाई प्रयोजनार्थ पाईपलाईन बिछाने हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 394, 396, 393 व 406 में प्रभावित रकबे की वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शर्तो की पालना किये जाने के पश्चात् प्रार्थी के खसरा संख्या 386 से प्रार्थी के खसरा संख्या 409 तक विप्रार्थी के खसरा संख्या 394, 396, 393 व 406 मे से सिंचाई प्रयोजनार्थ 3 फीट गहराई में पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2024/706 दिनांक 22.10.2024 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:13:42 IST
Reason: SelfAttested

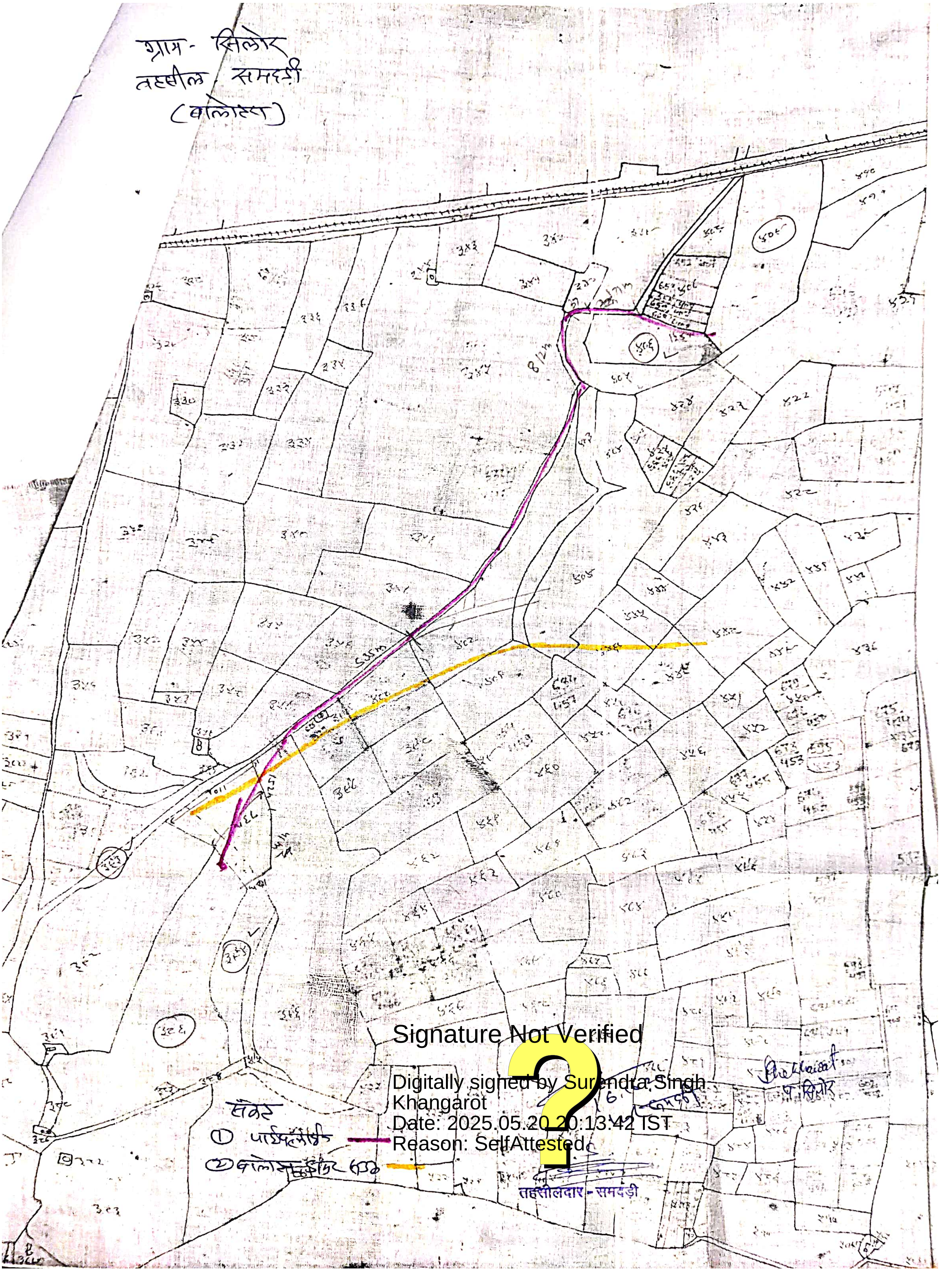

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:13:42 IST
Reason: SelfAttested